

अध्याय 5 : निष्कर्ष एवं सिफारिशें

5.1 निष्कर्ष

इस निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि यह योजना कई अस्पष्टताओं एवं त्रुटियों के साथ ड्राफ्ट हुई थी जिन्हें धारा 113 के उपयोग के माध्यम से तथा उचित स्पष्टीकरणों के द्वारा हटाया जा सकता था। उसके स्थान पर योजना की विचारधारा के विपरीत स्पष्टीकरणों को जारी किया गया।

विभाग की प्रतिक्रियाओं से पता चला कि उनका इरादा केवल आधिकाधिक राजस्व प्राप्त करना था, कर प्रशासन सुधारने के लिए अवसर के रूप में इसका उपयोग करना नहीं। यहां तक कि प्राथमिक जांच और अधिशेष भी घोषणाकर्ताओं द्वारा सत्य घोषणाओं की फाइलिंग को सुनिश्चित करने तथा घोषणाओं की "सत्यता" पर विश्वास करने हेतु विभाग के लिए उपलब्ध नहीं थे। असत्य घोषणाओं को रोकने हेतु प्रावधान तथा काफी हद तक झूठी घोषणाओं के रोकने के प्रावधान अनावश्यक रूप से अच्छे थे। इसके अलावा, योजना को अनुचित जल्दीबाजी में शुरू किया गया था क्योंकि विभाग कई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के लिए 'समय की कमी' का प्रत्युत्तर दिया था।

यह आशा कि एक मुश्त अपराध क्षमा योजना चूककर्ताओं को कर फोल्ड में वापस आने के लिए प्रोत्साहित करेगी, का सीमित प्रभाव पड़ा क्योंकि योजना के अंतर्गत काफी घोषणाकर्ता फिर से नान फाइलर्स बन गए हैं।

5.2 सिफारिशें

वीसीईएस में प्रावधान है कि वीसीईएस-3 जारी होने के पश्चात घोषणाकर्ता के विरुद्ध किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। मंत्रालय से प्राप्त सांख्यिकीय सूचना के अनुसार कुल संसाधित घोषणाओं में से 71 प्रतिशत मामलों में चुकौती प्रमाण पत्र (वीसीईएस-3) जारी किए गए थे। इसके मद्देनजर, इस निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु सिफारिशें दो भागों अर्थात् सिफारिशें जिन पर भविष्य में किसी अपराध श्रम योजनाएं बनाते समय विचार किया जाएगा और उन क्षेत्रों से संबंधित सिफारिशें जहां पश्च वीसीईएस अवधि पर सुधारात्मक कार्रवाई व्यवहार्य है, में दी गई है।

भाग-1 भावी संदर्भ हेतु सिफारिशें

1. ऐसी योजनाओं के लिए स्वयं घोषणाओं के साथ-साथ विभाग द्वारा संवीक्षा एवं आगे की कार्यवाही हेतु मौजूद स्वचालित प्रणालियों के समकलित आईटी प्लेट फार्मों के उपयोग पर विचार किया जाए।
2. उदउद्घोषकों द्वारा फाइल की गई घोषणा की सत्यता के सत्यापन हेतु जांच सूची निर्धारित करना
3. ऐसी योजनाओं से संबंधित चालानों की पहचान आईटी प्लेटफार्मों के उपयोग से अवश्य ही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
4. जारी प्रावधान/स्पष्टीकरण मौजूदा प्रावधानों के साथ-साथ योजना के निश्चित उद्देश्य में निर्धारित सेफगार्डों को कम न करे।

मंत्रालय ने पहली तीन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा सिफारिश संख्या 4 के संबंध में बताया कि यह नोट करना आवश्यक है कि इस योजना का उद्देश्य यथा संभव अधिकाधिक चूककर्ताओं को कवर करना था और यह कि योजना के उद्देश्य को विफल करने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए।


लेखापरीक्षा का मत है कि वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 113 बाधाओं को हटाने की शक्तियां देती है किंतु इस योजना के प्रावधानों के साथ असंगत हुए बिना।

भाग-2 पश्च वीसीईएस सुधारात्मक कार्रवाई हेतु सिफारिशें

5. सेनवैट क्रेडिट की अनुमति केवल उस सेवा कर भुगतान के संबंध में दी जानी चाहिए जिनके लिए सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9 में निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध है।
6. अपराध क्षमा योजना का विभागीय जांच तथा सतर्कता विंग के माध्यम से बच निकलने वालों को कर नेट में लाने के लिए व्यापक अभियान द्वारा पालन किया जाना चाहिए जिससे कि उन चूककर्ताओं को कड़ा संदेश दिया जा सके जो योजना के बावजूद सामने नहीं आए थे और प्रभावशाली हतोत्साहित करने वाला प्रभाव पड़े तथा नियमित करदाताओं का मनोबल भी बढ़ाया जा सके।
7. विवरणियों की फाइलिंग की मॉनीटरिंग तथा ऐसी विवरणियों की समीक्षा के माध्यम से कठोर अनुवर्ती प्रक्रिया योजना की सफलता को सरल बनाने के साथ-साथ प्रभाव निर्धारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।


मंत्रालय ने उपरोक्त सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और बताया कि घोषणाकर्ताओं के साथ-साथ उन क्षेत्रों, जिन्होंने घोषणाकर्ताओं में काफी वृद्धि की थी, के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अनुदेश जारी किया गया था।

नई दिल्ली
दिनांक: 18 जुलाई 2016


(हिमबिन्दु मुडुंबै)
प्रधान निदेशक (सेवा कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 18 जुलाई 2016


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक